रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 315] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 1987/ज्येष्ठ 26, 1909

No 315] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 1987/JYAISTHA 26, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 16 जून, 1987

अधिसूचना

सा.का.नि. 578(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कंडला पत्तन कर्मचारी (अवकाश) (संशोधन) विनियम, 1987 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फाइल सं. पी डब्ल्यू/पी ई आर-19/85]

पी. एम. अब्राहम, अपर सचिव

अनुसूची

कंडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) (संशोधन) विनियम 1987

कंडला पोर्ट न्यासी मंडल, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1964 को आगे संशोधित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

(i) ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) (संशोधन) विनियम 1987 कहे जायेंगे।

(ii) ये विनियम उन सभी कर्मचारियों पर, जो बोर्ड की सेवा में नियोजित हैं, लागू होंगे तथा उनका विस्तार "क" तथा "ख" प्रवर्ग के तटीय कर्मकारों तथा उन पृथक्कारों एवं चिह्नकों जिनके लिए "ख" प्रवर्ग के तटीय कर्मकारों को यथा अनुज्ञेय लाभों का विस्तार किया गया है, किया जाएगा।

iii) कंडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) विनियम 1964 में,

(1) विनियम 14 के उप विनियम 7 के नीचे व्याख्या 1 को हटा दिया जाए और व्याख्या 2 से 5 को 1 से 4 के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया जाए।

(2) विनियम 14 के अधीन उप विनियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित को उप विनियम (8) और (9) के रूप में अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(8) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अधीन सेवा-निवृत्ति के मामले में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद।

बोर्ड कर्मचारी, जो बोर्ड को सूचना देकर सेवा निवृत्त होता है या बोर्ड द्वारा सूचना अथवा उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार ऐसी सूचना के बदले वेतन और भत्ता देकर सेवा निवृत्त किया जाता है उसे अवकाश संस्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्व प्रेरणा से 180 दिनों की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में और साथ ही, उसके हिसाब में जमा अर्धवेतन अवकाश के

संबंध में अवकाश-वेतन के समतुल्य राशि की संस्वीकृति दी जा सकती है बशर्ते यह अवधि, जब वह इस प्रकार सेवा निवृत्त होता है अथवा सेवा निवृत्त किया जाता है उस तारीख को और उसकी सेवा को शासन करने वाली शर्तों के अधीन सेवा निवृत्ति हेतु निर्धारित आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् वह जिस तारीख को सामान्य क्रम में सेवा निवृत्त हुआ होता, के मध्य की अवधि से अधिक न हो।

बोर्ड का कर्मचारी जब इस प्रकार सेवा निवृत्त होता है अथवा सेवा निवृत्त किया जाता है तो उस तारीख को समतुल्य नकद राशि प्रवृत्त दरों पर प्रथम 180 दिनों के लिए अर्जित अवकाश हेतु यथा अनुज्ञेय अवकाश वेतन के बराबर तथा/अथवा अर्ध वेतन अवकाश हेतु यथा अनुज्ञेय अवकाश वेतन तथा उस पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते के बराबर होगा। अर्ध वेतन अवकाश की अवधि, यदि कोई हो तो, जिसके लिए समतुल्य नकद राशि संदेय है, के लिए संदत्त अवकाश वेतन से पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के समतुल्य पेंशन और पेंशन पर तदर्थ राहत/श्रेणीकृत राहत की राशि को घटा दिया जाएगा। इस प्रकार परिकलित राशि एक साथ समझौते के रूप में एकमुश्त संदत्त की जाएगी। आवास किराया भत्ता या नगर प्रतिपूरक भत्ता संदेय नहीं होगा।

परन्तु यदि, अर्ध वेतन अवकाश घटक हेतु अवकाश वेतन पेंशन और पेंशन सम्बन्धी अन्य लाभों से कम पड़ता है तो अर्ध वेतन अवकाश के समतुल्य नकद राशि मंजूर नहीं की जाएगी।

परन्तु आगे यह भी कि बोर्ड के कर्मचारी को जिसे बोर्ड द्वारा सूचना के बदले वेतन और भत्ता देकर सेवा-निवृत्त किया जाता है, वह उस अवधि के अन्दर, जिसके लिए ऐसा वेतन और भत्ता दिया गया है, अवकाश के लिए आवेदन कर सकता है और यदि उसे अवकाश संस्वीकृत किया जाता है तो जिस अवधि के लिए सूचना के बदले वेतन तथा भत्ता मंजूर किया गया है, उसे छोड़ कर केवल अवकाश की अवधि के लिए ही अवकाश वेतन मंजूर किया जाएगा।

9. त्यागपत्र/सेवाओं की समाप्ति/पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के पुनर्नियोजन की समाप्ति/अवधि मान्य किए जाने के मामले में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद।

(9)(क)(i) जहां बोर्ड के कर्मचारी की सेवायें, सूचना द्वारा अथवा सूचना के बदले वेतन और भत्ते के संदाय द्वारा अथवा उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अन्यथा समाप्त की जाती है, उसे अवकाश संस्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से अधिकतम 180 दिनों के अधीन रहते हुए, जिस तारीख को उसकी सेवा समाप्त होती है, उस तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में समतुल्य नकद राशि संस्वीकृत की जा सकती है।

(9) (क) (ii) यदि बोर्ड का कोई कर्मचारी त्याग पत्र देता है या सेवा छोड़ता है तो उसे अवकाश संस्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से सेवा की समाप्ति की तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में अधिकतम 90 दिनों के अधीन रहते हुए उसके खाते में जमा ऐसे अवकाश की आधी सीमा तक समतुल्य नकद संस्वीकृत किया जा सकता है।

टिप्पणी :—उक्त लाभ, इस बात का विचार किए बिना कि कर्मचारी स्थायी है अथवा अस्थायी, सभी कर्मचारियों को उपलब्ध होंगे।

(9) (क) (iii) बोर्ड का कर्मचारी जो सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजित किया जाता है, उसके पुनर्नियोजन की समाप्ति पर अवकाश संस्वीकृत करने मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से, पुनर्नियोजन की समाप्ति की तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में उस अवधि सहित, जिसके लिए सेवा निवृत्ति के समय नकदीकरण अनुज्ञात किया गया था, अधिकतम 180 दिनों के अधीन रहते हुए नकद समतुल्य संस्वीकृत किया जा सकता है।

(9) (क) (iv) बोर्ड के किसी भी कर्मचारी को, जिसे चिकित्सा, प्राधिकारी द्वारा आगे सेवार्थ पूर्णतया और स्थायी रूप से अशक्त घोषित किया जाता है, अवकाश संस्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से, सेवा से उसकी अशक्तता की तारीख को उसे देय तथा अनुज्ञेय अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद राशि संस्वीकृत की जा सकती है बशर्ते कि अवकाश की वह अवधि जिसके लिए उसे अवकाश के समतुल्य नकद राशि संस्वीकृत की जाती है उस तारीख से अधिक न हो जिस तारीख को वह उसकी सेवा को शासित करने वाली शर्तों के अधीन सेवा निवृत्ति हेतु विहित आयु प्राप्त करने के पश्चात् सामान्य क्रम में सेवा निवृत्त हुआ होता। इस प्रकार संदेय समतुल्य नकद, कांडला पोर्ट कर्मचारी (अवकाश) विनियम, 1964 के विनियम 14 के उप विनियम 8 के अधीन यथा परिकलित अवकाश वेतन के बराबर होगा। तथापि बोर्ड के कर्मचारी को, जो स्थायी नियोजन अथवा स्थायीवत् नियोजन में नहीं है, सेवा से उसे अविधिमान्य किए जाने की तारीख को उसके खाते में जमा अर्ध वेतन अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के समतुल्य नकद राशि संस्वीकृत नहीं की जाएगी।

9(ख) उप विनियम 8 तथा 9(क) के अधीन समतुल्य नकद राशि, जब बोर्ड का कर्मचारी सेवा से अलग होता है उस तारीख को प्रवृत्त दरों पर उस विनियम 1 से 4 के अधीन परिकलित अवकाश हेतु देय अवकाश वेतन अथवा जैसी भी स्थिति हो, तथा उस अवकाश वेतन पर अनुज्ञेय महंगाई भत्ते के बराबर होगा। इस प्रकार परिकलित राशि एक साथ समझौते के रूप में एकमुश्त संदत्त की जाएगी। कोई भी नगर प्रतिपूरक भत्ता या मकान किराया भत्ता संदेय नहीं होगा।

टिप्पणी —(1) विनियम 14(8) तथा 14(9) के अधीन संस्वीकृत अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश घटकों के लिए जैसी भी स्थिति हो, संदेय अवकाश वेतन निम्नवत् परिकलित किया जाएगा —

(क) अर्जित अवकाश

समतुल्य नकद	= सेवा की समाप्ति की तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ते सहित अनुज्ञेय वेतन / 30 ×	अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए जैसी भी स्थिति हो, प्रासंगिक की तारीख को खाते में जमा अनुपयोजित अर्जित अवकाश के दिनों की संख्या।

(ख) अर्ध वेतन अवकाश

अर्ध वेतन अवकाश घटक के बदले नकद संदाय	= अर्ध वेतन अवकाश तथा महंगाई भत्ते से, यदि देय हो तो, पेंशन उपदान के समतुल्य पेंशन तथा पेंशन पर राहत, यदि अर्ध वेतन अवकाश पर महंगाई भत्ता देय हो तो, को घटा कर / 30 ×	नियमों के अधीन विहित सीमा के अधीन रहते हुए सेवा की समाप्ति की तारीख को देय अर्ध वेतन अवकाश के दिनों की संख्या

टिप्पणी (2):—समय पूर्व/स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति अथवा अविधिमान्य किए जाने के कारण सेवा निवृत्ति के मामले में अधिकतम 180 दिनों के अधीन रहते हुए, देय तथा अनुज्ञेय अर्जित अवकाश का, जिस तारीख को कर्मचारी सेवा निवृत्त होता है और जिस तारीख को वह अधिवयता पर सामान्य क्रम में सेवा निवृत्त हुआ होता के मध्य की उस अवधि के अधिक होने पर भी, नकदीकरण अनुज्ञात किया जाएगा।

सचिव
कांडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 16th June, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 578(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees' (Leave) (Amendment) Regulations, 1987 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PW|PER-19|85]

P. M. ABRAHAM, *Additional Secy.*

SCHEDULE

THE KANDLA PORT EMPLOYEES

(Leave) (Amendment) Regulations, 1987

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Employees (Leave) Regulations, 1964, namely :—

I. These regulations may be called Kandla Port Employees (Leave) (Amendment) Regulations, 1987.

II. These regulations shall apply to all persons who are employed in the service of the Board, and shall be extended to 'A' and 'B' category shore workers and Sorter and Markers who have been extended the benefits as admissible to 'B' category shore workers.

III. In Kandla Port Employees (Leave) Regulations, 1964,

(i) explanation 1 below sub-regulation 7 of Regulation 14 may be deleted and the explanation 2 to 5 may be re-numbered as 1 to 4.

(ii) After sub-regulation 7 under Regulation 14, the following shall be inserted as sub-regulation (8) and (9), namely :—

(8) Cash equivalent of leave salary in case of retirement under voluntary retirement scheme.

A Board employee who retires by giving notice to the Board or is retired by the Board by giving notice or pay and allowances in lieu of such notice in accordance with the terms and conditions of his service may be granted, suo-moutu by the competent authority to grant leave, cash equivalent of the leave salary in respect of earned leave at his credit subject to a maximum of 180 days and also in respect of all the H.P.L. at his credit provided this period does not exceed the period between the date on which he so retires or is retired from service and the date on which he would have retired in the normal course after attaining the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service. The cash equivalent shall be equal to the leave salary as admissible for earned leave and|or equal to the leave salary as admissible for HPL plus DA admissible on that leave salary for the first 180 days at the rates in force on the date the Board's employee so retires or is retired from service. The pension and pension equivalent of other retirement benefits and adhoc relief|graded relief on pension [illegible] from the leave salary paid for the period of half pay leave if any, for which the cash equivalent is payable. The amount so calculated shall be [illegible] in one lumpsum as one time settlement. No HRA or CCA shall be payable.

Provided that if leave salary for the Half Pay Leave component falls short of pension and other pensionary benefits, cash equivalent of H.P.L. shall not be granted.

Provided further that an employee of the Board who is retired by the Board by giving him pay and allowances in lieu of notice, may apply for leave within the period of which such pay and allowances were given, and where he is granted leave, the leave salary shall be allowed only for the period of leave excluding that period for which pay and allowances in lieu of notice have been allowed—

9. Cash equivalent of leave salary in case of resignation|termination of services|[illegible]-employment of re-employed pensioners|invalidation.

9 (a) (i) Where the services of an employee of the Board are terminated by notice or by payment of pay and allowances in lieu of notice, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment, he may be granted, suo-motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date on which he ceases to be in service subject to the maximum of 180 days.

9 (a) (ii) If an employee of the Board resigns or quits service, he may be granted, suo-motu, by the authority competent to grant leave cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of cessation of service, to the extent of half of such leave at his credit, subject to maximum of 90 days.

Note :—The above benefit will be available to all employees irrespective of whether the employee is permanent or temporary.

9 (a) (iii) An employee of the Board who is re-employed after retirment may, on termination of his re-employment, be granted, suo-motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of termination of re-employment subject to a maximum of 180 days including the period for which encashment was allowed at the time of retirement.

9 (a) (iv) An employee of the Board who is declared by a medical authority to be completely and permanently incapacitated for further service may be granted suo motu by the authority competent to grant leave, cash equivalent of leave salary in respect of leave due and admissible, on the date of his invalidation from service, provided that the period of leave for which he is granted leave cash equivalent does not extend beyond the date on which he would have retired in the normal course after attaining the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service. The cash equivalent thus payable shall be equal to leave salary as calculated under sub-regulation 8 of Regulation 14 of Kandla Port Employees (Leave) Regulations, 1964. An employee of the Board who is not in permanent employ or quasi permanent employ shall not, however be granted cash equivalent of leave salary in respect of half pay leave standign at his credit on the date of his invalidation from service.

9 (b) The cash equivalent under sub-regulations 8 and 9 (a) shall be equal to leave salary admissible for leave calculated under sub-regulation 1 to 4 or as the case may be plus dearness allowance admissible on that leave salary at the rates in force on the date the Board's employee cases to be in service. The amount so calculated shall be paid in one lumpsum as one time settlement. No. CCA or HRA shall be payable.

Note (1) The leave salary payable for the earned leave and HPL components granted under Regulations 14(8) and 14 (9) as the case may be shall be calculated in the manner indicated below:—

(a) Earned leave

Cash equivalent =	Pay admissible plus Dearness Allowance admissible on the date of cessation of service ———————— × 30	No. of days of unutilised EL at credit on the date of incident subject to maximum limit as the case may be.

(b) Half Pay leave

Cash payment in lieu of HPL component =	HPL salary plus DA if admissible (minus) pension, PEG and relief on pension if admissible on HPL ———————— × 30	No. of days of HPL due on the date of cessation of service subject to the limits prescribed under the rules.

Note (2) :—Encashment of earned leave due and admissible subject to maximum of 180 days shall be allowed in case of premature|voluntary retirement or retirement on invalidation even if the same exceeds the period between the date on which the employee retires and the date on which he would have retired in normal course on superannuation.

Secretary
Kandha Port Trust

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987